

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या 3593/सी०ई०ओ०- 1-105/1-2005 दिनांक 14 सितम्बर 2017 के अंतर्गत, जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर नगर से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत 17 श्रेणियों की सूचना

4 (1) (ख) :

(i)	संगठन की विषिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची के बनाने तथा लोक सभा और विधान परिषद/विधान सभा के निर्वाचनों से संबंधित कार्य सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित हैं-	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०,लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति से जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों का तहसीलवार/विधानसभावार अनुश्रवण करते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से यथाआवश्यकता रिपोर्ट आयोग को भेजते हैं।
(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण-	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in की पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विषिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं-	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी कार्यों में जनसाधारण का सहयोग/परामर्ष लिये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्षिता है और इसमें जनता का सहयोग भी लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण-	शून्य
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका-	निर्देशिका संलग्न है (तालिका-I)
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो-	संलग्न है (तालिका-II)

(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विषिष्टियां उपदर्शित करते हुये प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट—	निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा छपाई, मतदाता फोटो पहचान—पत्र और समय—समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। यह धन आयोजनेत्तर पक्ष से प्राप्त होता है। तत्पश्चात इसका अंशदान के प्रतिषत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से की जाती है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं—	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं की विषिष्टियां—	शून्य
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों—	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है—	जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर नगर समय अपरान्ह 3-00 बजे से सायं 5-00 बजे तक
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियां—	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जायें—	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अपडेट किया जायेगा

तालिका-I

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष कार्यालय
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर	0512-2306577
2	श्री डी०पी० पाल	उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर	0512-2306568
3	श्री कमल किषोर	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी, कानपुर नगर	0512-2306568
4	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा	वरिष्ठ सहायक	0512-2306568
5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक	0512-2306568
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य	वरिष्ठ सहायक	0512-2306568
7	श्री विनय गुप्त	वरिष्ठ सहायक	0512-2306568
8	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	0512-2306568
9	श्रीमती सविता तिवारी	कनिष्ठ सहायक	0512-2306568
10	श्री जितेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0512-2306568
11	श्री विष्णु कुमार शुक्ला	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0512-2306568

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय
1	जिला निर्वाचन कार्यालय, कानपुर नगर	श्री सुरेन्द्र सिंह जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर	0512-2306577	श्री कमल किशोर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर	0512-2306568	—	—